

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247094
SG-DL-E-06072023-247094असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 125
No. 209]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945	[N. C. T. D. No. 125

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जुलाई, 2023

फां. सं. 6/1/2015-न्याय/अधी.विधि./1274-1282.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश नियुक्त करते हैं:—

- 1 सुश्री सीमा मैनी की नियुक्ति, जो ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत पहले से ही प्रधान जिला न्यायाधीश है, को नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में दिनांक 01.07.2023 से; तथा
- 2 सुश्री अंजू बजाज चांदना की नियुक्ति, प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th July, 2023

F. No. 6/1/2015-Judl./ Suptlaw/1274-1282.—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judges, as under: -

1. Appointment of Ms. Seema Maini, already Principal District Judge under next below rule, as Principal District Judge on regular basis with effect from 01.07.2023; and
2. Appointment of Ms. Anju Bajaj Chandna, as Principal District Judge under next below rule with effect from the date she takes over.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
BHARAT PARASHAR, Principal Secy.